चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों से 74 क्वार्टर अवैध देशी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी दीपक पाण्डेय थाना सरधुवा द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश द्विवेदी उर्फ छोटा पुत्र स्व0 जगदीश निवासी ग्राम दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला मय हमराह आरक्षी सोनपाल व आरक्षी आनन्द प्रताप थाना मऊ द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार यादव पुत्र गुलाबचन्द्र निवासी ग्राम मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार मय हमराह आरक्षी नीतू द्विवेदी थाना मऊ द्वारा अभियुक्त पप्पू निषाद पुत्र सीताराम निवासी जमुना रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व रि0आरक्षी संजीव यादव थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र हुबलाल निवासी टिकुरा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री दशरथ सिंह मय हमराह रि0आरक्षी संदीप यादव थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त मनीष कोल पुत्र भइयन कोल निवासी भैसवार थाना कोठी जनपद सतना म0प्र0 को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र शिवशरण निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 04 किलो 382 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.श्री अजीत कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर

2.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी

3.आरक्षी संतोष सिंह

4.आरक्षी शरद कुमार सिंह

5.मुख्य आरक्षी चालक सज्जन सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैया

बक्श सिंह एवं उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि एक वादी द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष को रामगोपाल के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 104/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम रामगोपाल पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 5(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामगोपाल उपर्युक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह

2.आरक्षी आरिफ अंसारी